NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 26-08-2026

विषय सूची

भारत की मध्य एशिया रणनीति में अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता

विकसित भारत के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना: नीति आयोग

भारत–चीन विशेष प्रतिनिधियों के बीच 25वें दौर की वार्ता

भारत ने रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को मंजूरी दी

भारत ने यूएनसीसीडी कॉप-17 में चारागाहों के समुदाय-आधारित पुनर्स्थापन का आह्वान किया

संक्षिप्त समाचार

चीन ने नई स्थापनाओं के साथ दक्षिण चीन सागर में निर्माण तेज किया

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन

ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष

सेबी का आईटी रेजिलिएंस इंडेक्स (ITRI)

लिथियम कार्बोनेट

भारत की मध्य एशिया रणनीति में अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया की द्विपक्षीय यात्रा के लिए उज़्बेकिस्तान जाएंगे तथा किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

मध्य एशिया

- मध्य एशिया एशिया का एक स्थलरुद्ध केंद्रीय क्षेत्र है, जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है।
- इसके उत्तर में रूस तथा दक्षिण में ईरान, अफगानिस्तान और चीन स्थित हैं।
- इस क्षेत्र में पूर्व सोवियत गणराज्य कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं।
- मध्य एशिया की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से "रेशम व्यापार मार्गों" से गहराई से जुड़ी रही है और यह क्षेत्रीय भू-राजनीति तथा उससे आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

बदलती हुई मध्य एशियाई कूटनीति

- **मध्य एशिया की भू-राजनीति**: लंबे समय तक इन्हें पाँच असुरक्षित स्थलरुद्ध देशों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वे अधिक आंतरिक एकजुटता प्राप्त कर रहे हैं।
- वर्ष 2018 से मध्य एशिया के पाँचों देश मध्य एशिया के राष्ट्राध्यक्षों की परामर्श बैठकों में नियमित रूप से शिखर स्तर पर मिलते रहे हैं।
- अब उन्होंने आपस में एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे कुछ संगठनात्मक स्वरूप देने तथा इस क्षेत्र को एक वास्तविक मध्य एशियाई समुदाय में बदलने की योजना बनाई है।
- मध्य एशिया के पाँच देशों ने अज़रबैजान को आमंत्रित कर C-6 बनाने का प्रस्ताव रखा, जो मध्य एशिया को काकेशस और तुर्किये से अधिक निकटता से जोड़ता है।
- **संबंधों में विविधता**: 2025 के दौरान मध्य एशियाई नेताओं ने यूरोपीय संघ, चीन, रूस, अमेरिका और जापान के साथ शिखर बैठकें कीं।
- अमेरिका ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा गलियारों पर नया जोर दिया है। यूरोप, जापान और अन्य देश भी मध्य एशिया के साथ अपना जुड़ाव बढ़ा रहे हैं।
- मध्य एशिया एक "बहु-वेक्टर" रणनीति अपना रहा है, अर्थात वह सभी के साथ जुड़ता है, लेकिन किसी एक के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध नहीं होता।
- **मध्य पूर्व के साथ बढ़ता जुड़ाव**: कजाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है तथा अज़रबैजान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दावोस में "शांति" के चार्टर पर हस्ताक्षर किए।
- ईरान युद्ध ने खुले समुद्र तक मध्य एशिया की पारंपरिक दक्षिणी पहुँच को जटिल बना दिया है और कैस्पियन सागर के पार पश्चिम की ओर अज़रबैजान, तुर्किये और भूमध्यसागर तक जाने वाले वैकल्पिक मार्गों के महत्व को बढ़ा दिया है।

भारत के लिए क्षेत्र का महत्व

- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व**: मध्य एशिया यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है, जिससे यह व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
- गहरा जुड़ाव भारत को चीन, रूस, तुर्किये और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा**: इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के पर्याप्त भंडार हैं। कजाकिस्तान भारत की परमाणु ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक है।
- **आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला**: अफगानिस्तान में अस्थिरता का मध्य एशिया और भारत के सुरक्षा हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।
- **चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना**: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ने मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और बुनियादी ढाँचा संबंध स्थापित किए हैं।
- भारत की अधिक सक्रिय भागीदारी इस क्षेत्र को वैकल्पिक विकास और संपर्क साझेदार उपलब्ध करा सकती है।

भारत के लिए आगे की राह

- **भारत के सामने आने वाली चुनौतियाँ**: भारत को मध्य एशिया में पर्याप्त सद्भावना प्राप्त है, लेकिन भूगोल अभी भी उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करता है।

- भारत की मध्य एशिया तक कोई प्रत्यक्ष भूमि पहुँच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान स्पष्ट स्थल मार्ग को अवरुद्ध करता है, जबकि अफगानिस्तान अभी भी अस्थिर है।
- चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने उनकी संभावनाओं को जटिल बना दिया है।
- **यथार्थवाद-आधारित दृष्टिकोण:** बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता भारत से कम रोमांटिक और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग करती है।
- भारत चीन के बुनियादी ढाँचे पर होने वाले खर्च, रूस के भौगोलिक लाभ, यूरोप के वित्तीय संसाधनों या कैस्पियन सागर के पार तुर्किये की प्रत्यक्ष पहुँच की बराबरी नहीं कर सकता।
- निरंतर राजनीतिक ध्यान के साथ एक व्यावहारिक आर्थिक एजेंडा भी होना चाहिए, जो उन क्षेत्रों पर केंद्रित हो जहाँ भारत वास्तविक योगदान दे सकता है।
- **नए मध्य एशिया को समझना:** भारत को नए मध्य एशिया के राजनीतिक स्वरूप को पहचानना चाहिए। इसके देश किसी अन्य संरक्षक शक्ति की तलाश में नहीं हैं; वे ऐसे बहुस्तरीय साझेदारी संबंध चाहते हैं जो उनके रणनीतिक विकल्पों और स्वतंत्र कार्रवाई की गुंजाइश को बढ़ाएँ।

स्रोत: IE

विकसित भारत के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना: नीति आयोग

सन्दर्भ

- नीति आयोग की रिपोर्ट "विकसित भारत के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना" ने शिक्षित बेरोजगारी तथा भारत की शिक्षा और कौशल विकास व्यवस्था को श्रम-बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता पर नीतिगत बहस को फिर से तेज किया है।

नीति आयोग द्वारा "विकसित भारत के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना" की प्रमुख निष्कर्ष

- **गंभीर कौशल–रोजगार असंगति**: केवल लगभग 8.25% स्नातक ही अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप रोजगार में हैं, जो व्यापक अल्प-रोजगार और योग्यता-असंगति को दर्शाता है।
- **उच्च शिक्षित बेरोजगारी**: स्नातकों में बेरोजगारी दर 13% और स्नातक महिलाओं में 20.4% है, जो 3.2% की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से काफी अधिक है।
- **सामान्य डिग्रियों पर अत्यधिक निर्भरता**: भारत के 3.4 करोड़ स्नातक छात्रों में से 2 करोड़ से अधिक बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम. जैसे पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, जिनमें से कई का रोजगार के साथ प्रत्यक्ष संबंध अपेक्षाकृत कमजोर है।
- **युवाओं की बड़ी संख्या में निष्क्रियता**: रिपोर्ट में NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी में आने वाले युवाओं की एक बड़ी संख्या का अनुमान लगाया गया है।
- हालांकि, नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि NEET के आँकड़ों को बेरोजगारी के आँकड़ों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- **कौशल विकास से आय में सुधार**: अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने वाले स्नातकों की आय की संभावनाएँ बेहतर होती हैं। रिपोर्ट में दिए गए प्रमाण के अनुसार, कौशल प्राप्त सामान्य स्नातकों का औसत प्रारंभिक मासिक वेतन, बिना अतिरिक्त कौशल वाले स्नातकों की तुलना में ₹7,000 अधिक है।
- **व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सामाजिक कलंक**: आईटीआई, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण को अक्सर 'द्वितीय श्रेणी' के विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिससे युवा व्यावसायिक करियर अपनाने से हतोत्साहित होते हैं।
- **सूचना और जागरूकता की कमी**: उपयुक्त पाठ्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप, छात्रवृत्तियों और सरकारी योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी के कारण अनेक संभावित लाभार्थी कौशल विकास के अवसरों तक नहीं पहुँच पाते हैं।
- **परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण का अभाव**: मौजूदा कार्यक्रम अक्सर रोजगार, आय में वृद्धि और दीर्घकालिक करियर प्रगति के बजाय नामांकन और प्रमाणन पर अधिक जोर देते हैं।

प्रभावी कौशल विकास में संरचनात्मक बाधाएँ

- **सूचना और लैंगिक अंतर:** अनेक शिक्षार्थियों के पास उपयुक्त पाठ्यक्रमों और उनसे मिलने वाले आर्थिक लाभों के बारे में विश्वसनीय जानकारी का अभाव है।
- महिलाओं को आवागमन, सुरक्षा, सामाजिक अनुमति और समय की सीमाओं जैसी अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **आपूर्ति-प्रेरित संरचना**: एक ही प्रकार के सभी पर लागू होने वाले दृष्टिकोण और उद्योग की कमजोर भागीदारी के कारण कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय और क्षेत्रीय क्षेत्रों की मांगों के अनुरूप प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहते हैं।

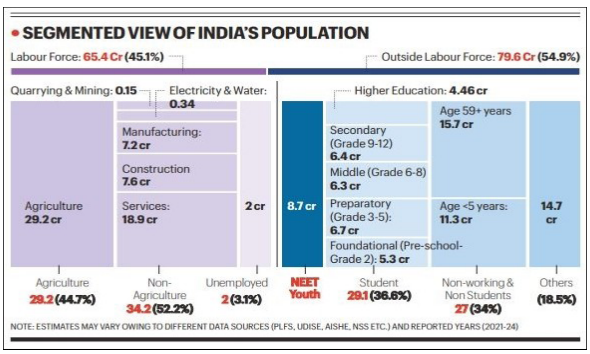

कौशल विकास क्यों महत्वपूर्ण है?

- **नीति आयोग** द्वारा उद्धृत सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, अतिरिक्त कौशल वाले सामान्य स्नातक का औसत प्रारंभिक मासिक वेतन ₹29,000 है, जबकि बिना कौशल विकास वाले स्नातक का यह ₹22,000 है।
- समय के साथ यह संचयी आय में पर्याप्त अंतर में परिवर्तित हो सकता है।
- इसलिए, रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ आय में गतिशीलता, उद्यमिता और कार्यबल की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास आवश्यक है, विशेष रूप से तकनीकी बदलाव और हरित संक्रमण के दौर में।

आगे की राह

- भारत को निर्णायक रूप से मांग-आधारित, उद्योग-समर्थित और परिणाम-आधारित कौशल विकास की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। प्रमुख सुधारों में शामिल होने चाहिए:
- बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम. कार्यक्रमों को व्यावहारिक और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषज्ञताओं में पुनर्गठित करना।
- अप्रेंटिसशिप-समावेशित डिग्री कार्यक्रमों और कार्य-एकीकृत शिक्षा का विस्तार करना।
- हरित उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे तीव्र गति से विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कौशल का निर्माण करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित कौशल विकास विश्वविद्यालयों को मजबूत करना तथा आईटीआई को अधिक शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- शिक्षा में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और कार्यस्थल की तैयारी को शामिल करना।
- करियर परामर्श तथा महिलाओं और वंचित युवाओं के लिए लक्षित सहायता का विस्तार करना।

नेशनल इंस्टिट्यूशन फ़ॉर ट्रांसफ़ार्मिंग इंडिया (नीति आयोग):

- यह एक प्रमुख सार्वजनिक नीति विचार मंच है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रकृति: एक कार्यकारी निकाय/गैर-संवैधानिक संस्था, जिसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से की गई।
- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- शासी परिषद: इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।
- भूमिका: केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक एवं तकनीकी नीतिगत सलाह प्रदान करना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना।

प्रमुख उद्देश्य:

- नीति निर्माण में राज्यों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- योजना और विकास के लिए नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण विकसित करना।
- नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह धन आवंटित करने के बजाय ज्ञान और सलाहकारी मंच के रूप में कार्य करना।

स्रोत: IE

भारत–चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता

सन्दर्भ

- भारत और चीन ने विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 25वीं वार्ता आयोजित की, जिसमें सीमा निर्धारण को आगे बढ़ाने और

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वार्ता के प्रमुख परिणाम

- **सीमा निर्धारण**: भारत और चीन ने विवादित सीमा के कुछ हिस्सों के सीमा-निर्धारण के लिए वार्ताओं को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
- **संस्थागत तंत्र का पुनरुद्धार**: भारत और चीन उन द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों और संवाद मंचों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं, जो 2020 में शुरू हुए सीमा तनाव के कारण बाधित हो गए थे।
- वर्ष 2005 के ढाँचे की पुनः पुष्टि: दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 2005 के समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह समझौता एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यापक सिद्धांत प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्व

- **सीमा संबंधी जोखिम**: सीमा निर्धारण में प्रगति और बेहतर सीमा-प्रबंधन तंत्र से विवादित सीमा पर अनपेक्षित टकराव और तनाव बढ़ने के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- **रणनीतिक स्थिरता**: भारत और चीन के संबंधों में स्थिरता हिंद-प्रशांत और व्यापक एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दोनों देशों के आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व को देखते हुए।

भारत–चीन संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **पंचशील समझौता**: 1954 में हस्ताक्षरित पंचशील समझौते में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक-दूसरे की संप्रभुता के प्रति सम्मान और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर जोर दिया गया, जिसने भारत–चीन राजनयिक संबंधों की नींव रखी।
- **ऐतिहासिक तनाव**: 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं तथा हालिया झड़पों और अविश्वास के कारण तनाव और गहरा हुआ है।
- वर्ष 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया।
- भारत ने चीनी निवेशों पर प्रतिबंध लगाए, चीनी ऐप्स (जैसे टिकटॉक) पर प्रतिबंध लगाया और चीन के लिए उड़ानें रोक दीं।
- **व्यापारिक संबंध**: 2025 में चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। तनाव के बावजूद आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं।
- **जारी तंत्र**: तनाव के बावजूद सीमा संबंधी मुद्दे को संबोधित करने के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) और परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) जैसे तंत्र मौजूद रहे हैं।

हालिया घटनाक्रम:

- **2024 में सैन्य वापसी**: भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सफलतापूर्वक सैन्य वापसी (Disengagement) की घोषणा की।
- **अक्टूबर 2024 की बैठक**: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता" पर जोर दिया।
- **वर्ष 2025 में:** दोनों देशों ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू कीं और भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा भी किया।

चिंताएँ

- **अनसुलझा सीमा विवाद**: कई दौर की वार्ताओं के बावजूद भारत और चीन अपने विवादित सीमा क्षेत्र का व्यापक समाधान हासिल नहीं कर पाए हैं।
- **LAC की अलग-अलग धारणाएँ**: LAC के पारस्परिक रूप से स्वीकृत सीमांकन का अभाव क्षेत्रीय दावों की अलग-अलग धारणाओं वाले क्षेत्रों का निर्माण करता है और इससे गश्ती दलों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है।
- **चीन–पाकिस्तान गठजोड़**: चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग, विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से, चिंता का विषय है। CPEC बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का हिस्सा है और भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है।
- **व्यापार असंतुलन**: भारत का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई (फार्मास्युटिकल्स में सक्रिय औषधीय घटक), दूरसंचार उपकरण और सौर पैनलों जैसे क्षेत्रों में चीन से होने वाले आयात पर काफी निर्भर है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति:

- **श्रीलंका**: हंबनटोटा बंदरगाह में चीन की उपस्थिति और तेल रिफाइनरी में उसके निवेश भारत के लिए चिंता का विषय हैं।
- **नेपाल:** चीन के बुनियादी ढाँचा निवेश, जैसे पोखरा हवाई अड्डा, भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं।
- **बांग्लादेश**: ऋण समझौतों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए चुनौती उत्पन्न करता है।

NEXT IAS हिन्दी

आगे की राह

- भारत और चीन के लिए क्रमिक सीमा-निर्धारण, प्रभावी सैन्य वापसी और तनाव कम करने के तंत्र, मजबूत विश्वास-निर्माण उपाय तथा नियमित राजनयिक और सैन्य संवाद आवश्यक हैं, ताकि सीमा पर तनाव की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- पहले से सहमत राजनीतिक सिद्धांतों और निरंतर संवाद के आधार पर निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों को स्वीकार्य सीमा समाधान स्थायी शांति तथा स्थिर भारत–चीन संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक बना हुआ है।

स्रोत: TH

भारत ने रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) को भारतीय रक्षा निर्माताओं को देने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल को आगे बढ़ाना है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- यह देशों के बीच या अनुसंधान संगठनों से औद्योगिक साझेदारों तक डिजाइन, उत्पादन, संचालन और एकीकरण संबंधी जानकारी एवं विशेषज्ञता के हस्तांतरण को कहा जाता है।
- वर्तमान समय में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव तथा आधुनिक युद्ध में सटीक हमलों और स्टैंड-ऑफ हथियारों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए यह रक्षा आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गया है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रकार

- **ऊर्ध्वाधर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** अनुसंधान, विकास और उत्पादन के विभिन्न स्तरों के बीच प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- **उदाहरण**: DRDO द्वारा मिसाइल की अवधारणाओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा कंपनियों को हस्तांतरित करना।
- **क्षैतिज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**: विदेशी और घरेलू निर्माताओं के बीच संयुक्त उपक्रम, लाइसेंसिंग या सरकारी समझौतों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- यह समान प्रकार के संगठनों या देशों के बीच हो सकता है।

विशेषज्ञता और ज्ञान:

- **कैसे करें (Know-How):** उत्पादन संबंधी जानकारी, जैसे तकनीकी नक्शे, संयोजन के निर्देश और मशीनरी से संबंधित जानकारी।
- **क्यों करें (Know-Why)**: डिजाइन की अवधारणाओं, भौतिकी और स्रोत कोड का ज्ञान, जिससे स्वायत्त रूप से संशोधन, उन्नयन और नए आविष्कार किए जा सकें।
- **दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी का स्पिन-ऑफ और स्पिन-इन:** नागरिक और सैन्य उपयोगों के बीच दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण।
- **उदाहरण** के लिए, निर्देशित हथियारों में व्यावसायिक नौवहन सेंसरों का उपयोग (स्पिन-इन) या सैन्य प्रणोदन सामग्रियों को नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए अनुकूलित करना (स्पिन-ऑफ)।

महत्व और आवश्यकता

- **विस्तार और बड़े पैमाने पर उत्पादन**: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) जैसे अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं।
- घरेलू निजी कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने से कम मात्रा वाले प्रोटोटाइप से लेकर औद्योगिक स्तर तक उत्पादन में तेजी आती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का प्रबंधन**: विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर अत्यधिक निर्भरता भू-राजनीतिक संकट या प्रतिबंधों की स्थिति में जोखिम पैदा करती है।
- स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने से संचालनात्मक तैयारियाँ बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **रक्षा निर्यात**: भारत अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों का निर्यात कर सकता है, जैसे ब्रह्मोस को विदेशी साझेदारों को निर्यात करना।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण श्रृंखलाओं में शामिल करता है। इससे स्थानीय मूल्यवर्धन होता है और रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
- स्थानीय उद्यमों को तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण एक आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार विकसित करने में सहायता करता है।

चुनौतियाँ और मुद्दे

- **निर्यात नियंत्रण**: MTCR और अन्य व्यवस्थाओं में सदस्यता महत्वपूर्ण मिसाइल प्रौद्योगिकियों तथा विदेशी बौद्धिक संपदा तक पहुँच को सीमित करती है।
- **विनिर्माण संबंधी कमियाँ**: निजी उद्यमों के पास उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए आवश्यक नई मशीनरी, धातुकर्म, परीक्षण बुनियादी ढाँचे और वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- **बौद्धिक संपदा और सुरक्षा संबंधी खतरे**: आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलता और व्यापकता से बौद्धिक संपदा की चोरी, रिवर्स इंजीनियरिंग, व्यापारिक गोपनीय जानकारी के लीक होने और साइबर-जासूसी के अवसर भी बढ़ते हैं।
- **उच्च लागत और लंबी अवधि**: मिसाइल निर्माण में परीक्षण, स्वच्छ कक्षों और गुणवत्ता प्रणालियों में बड़ी प्रारंभिक पूँजी लगती है तथा इसका प्रतिफल दीर्घकालिक खरीद अनुबंधों से जुड़ा होता है।

निष्कर्ष

- मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत के लिए रक्षा का एक बड़ा आयातक देश होने से आगे बढ़कर एक स्वतंत्र उत्पादन केंद्र और दीर्घकालिक सुरक्षा निवारक शक्ति बनने के लिए महत्वपूर्ण है।
- वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने का अर्थ केवल लाइसेंस के तहत असेंबली करने से आगे बढ़कर ब्रह्मोस जैसे उच्च-मूल्य वाले संयुक्त उपक्रमों तक पहुँचना है, जिसमें बौद्धिक संपदा पर समान अधिकार और वैश्विक स्तर पर निर्यात करने की क्षमता हो।
- इन उन्नत प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए वाणिज्यिक रक्षा उद्यमों को मजबूत आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) बुनियादी ढाँचा विकसित करना होगा तथा ठोस प्रणोदक रसायन, सक्रिय रडार साधक और तापीय परिरक्षण जैसी मूलभूत क्षमताओं में दक्षता हासिल करनी होगी।

स्रोत:TH

भारत द्वारा यूएनसीसीडी कॉप-17 में चारागाहों की समुदाय-आधारित बहाली का आह्वान

सन्दर्भ

- भारत ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP17) में चारागाहों की बहाली के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।

परिचय

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) के COP17 का आयोजन उलानबटार, मंगोलिया में "भूमि की बहाली, आशा की बहाली" विषय के तहत किया जा रहा है।
- UNCCD के COP सम्मेलनों में प्रमुख चर्चाएँ भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने, क्षरित चारागाहों और शुष्कभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली, हरित वित्त तंत्रों के विस्तार तथा सूखे की पूर्व चेतावनी के लिए वैश्विक सीमा-पार डेटा साझाकरण में सुधार पर केंद्रित रहती हैं।

चारागाह: पारिस्थितिक और आर्थिक परिसंपत्तियाँ

- चारागाह पृथ्वी की 54% भूमि सतह पर फैले हुए हैं, लगभग 50 करोड़ पशुपालकों को आजीविका प्रदान करते हैं और विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जैव-विविधता क्षेत्रों के लगभग एक-तिहाई का हिस्सा हैं।
- इनमें घासभूमि, सवाना, झाड़ियाँ और खुले वन क्षेत्र शामिल हैं तथा ये भोजन, आजीविका, जैव-विविधता, कार्बन भंडारण और जल-विनियमन जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- चारागाह हर वर्ष अनुमानतः 21–47 ट्रिलियन डॉलर के लाभ उत्पन्न करते हैं, लेकिन भूमि और जलवायु वित्तपोषण में अभी भी इनकी काफी उपेक्षा की जाती है।
- बहाली पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर पर 4–6 डॉलर का प्रतिफल मिलता है। जल आपूर्ति जैसे व्यापक सार्वजनिक लाभों को शामिल करने पर यह प्रतिफल 36 डॉलर तक पहुँच सकता है।

पशुपालन की भूमिका पर पुनर्विचार

- पारंपरिक दृष्टिकोणों में पशुपालन और पशुओं द्वारा चराई को भूमि क्षरण के प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया है।
- हालांकि, कई चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र चराई के साथ विकसित हुए हैं, और अच्छी तरह से प्रबंधित पशुपालक प्रणालियाँ जैव-विविधता, पोषक तत्वों के चक्रण और पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन क्षमता को बनाए रख सकती हैं।
- केवल पशुपालन ही नहीं, बल्कि सूखा, कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और पारंपरिक चराई मार्गों का विखंडन भी चारागाहों के बढ़ते क्षरण के प्रमुख कारण बन रहे हैं।

भूमि बहाली में वित्तीय अंतर

- भूमि क्षरण विश्व की लगभग 40% भूमि सतह को प्रभावित करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता, जैव-विविधता और आजीविकाओं पर खतरा उत्पन्न होता है।
- भूमि बहाली के लिए पर्याप्त और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षरित भूमि कृषि, जल सुरक्षा, जैव-विविधता और ग्रामीण आजीविकाओं को प्रभावित करती है।
- हालांकि, ऐतिहासिक रूप से भूमि बहाली को अन्य जलवायु और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में कम वित्तीय महत्व मिला है।
- COP17 में यह वित्तीय चुनौती एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरी है, विशेष रूप से चारागाहों और पशुपालक समुदायों के संदर्भ में।

भूमि क्षरण तटस्थता (LDN)

- भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और खाद्य सुरक्षा के लिए

आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता स्थिर बनी रहे या उसमें सुधार हो।

LDN प्राप्त करने के लिए आवश्यक है:

- आगे होने वाले भूमि क्षरण को रोकना।
- जारी भूमि क्षरण को कम करना।
- पहले से क्षरित भूमि की बहाली करना।
- बहाली अत्यधिक महंगी होने से पहले भूमि क्षरण को रोकने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

- **वित्तीय अंतर:** भूमि क्षरण के पैमाने की तुलना में सार्वजनिक और निजी निवेश अभी भी अपर्याप्त है।
- **नीतिगत अंतर**: राष्ट्रीय जलवायु और बहाली रणनीतियों में वनों की तुलना में चारागाहों को कम महत्व दिया जाता है।
- **ज्ञान का अंतर**: पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को औपचारिक बहाली योजनाओं में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता है।
- **संस्थागत विखंडन**: भूमि, जल, कृषि, पशुधन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ अक्सर अलग-अलग संचालित होती हैं।

आगे की राह

- **वित्तीय अंतर को कम करना**: भूमि बहाली और सूखा-रोधी क्षमता के लिए निजी निवेश जुटाने हेतु सार्वजनिक वित्तपोषण, मिश्रित वित्तपोषण, हरित बॉन्ड और नवीन वित्तीय तंत्रों का विस्तार करना।
- **बहाली के बजाय रोकथाम को प्राथमिकता देना**: प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, सूखा पूर्वानुमान और पूर्व-सक्रिय कार्रवाई में निवेश करना, क्योंकि भूमि क्षरण को रोकना और सूखे के लिए तैयारी करना आपदा के बाद राहत तथा बड़े पैमाने पर बहाली की तुलना में अधिक लागत-प्रभावी है।
- **जलवायु नीतियों में चारागाहों को मुख्यधारा में लाना**: राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), भूमि-बहाली लक्ष्यों और जलवायु-वित्त ढाँचे में चारागाहों तथा पशुपालक प्रणालियों को अधिक स्पष्ट रूप से शामिल करना।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD)

- UNCCD की स्थापना 1994 में, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद, भूमि की रक्षा एवं बहाली तथा अधिक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा है।
- यह तीन रियो अभिसमयों में से एक है। अन्य दो हैं—जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और जैव-विविधता पर अभिसमय (CBD)।
- इस अभिसमय के 197 पक्षकार हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- 2018–2030 की रणनीतिक रूपरेखा विशाल क्षरित भूमि क्षेत्रों की उत्पादकता बहाल करने और भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करने के लिए सबसे व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता है।

स्रोत: DD News, DTE

संक्षिप्त समाचार

चीन ने दक्षिण चीन सागर में नए प्रतिष्ठानों के साथ सैन्य निर्माण तेज किया

सन्दर्भ

- उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित एंटीलोप रीफ पर एक कृत्रिम द्वीप बनाया है और ऐसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया है, जो क्षेत्र पर उसके नियंत्रण का विस्तार करता है।

पैरासेल द्वीप समूह

- एंटीलोप रीफ दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित पैरासेल द्वीप समूह में स्थित है।
- पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में लगभग 130 छोटे प्रवाल द्वीपों और चट्टानों का समूह है।
- ये मध्य वियतनाम से लगभग 250 मील (400 किमी) पूर्व और चीन के हैनान द्वीप से लगभग 220 मील (350 किमी) दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
- चीन ने 1970 के दशक से पैरासेल द्वीप समूह पर नियंत्रण रखा है, जबकि वियतनाम भी इस द्वीप समूह पर अपना दावा करता है।
- पैरासेल द्वीप समूह पर विवाद व्यापक दक्षिण चीन सागर विवाद का हिस्सा है, जिसमें चीन क्षेत्र के लगभग प्रत्येक समुद्री राष्ट्र के आसपास के जलक्षेत्र पर अपना दावा करता है।
- चीन के वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के साथ क्षेत्रीय विवाद हैं।

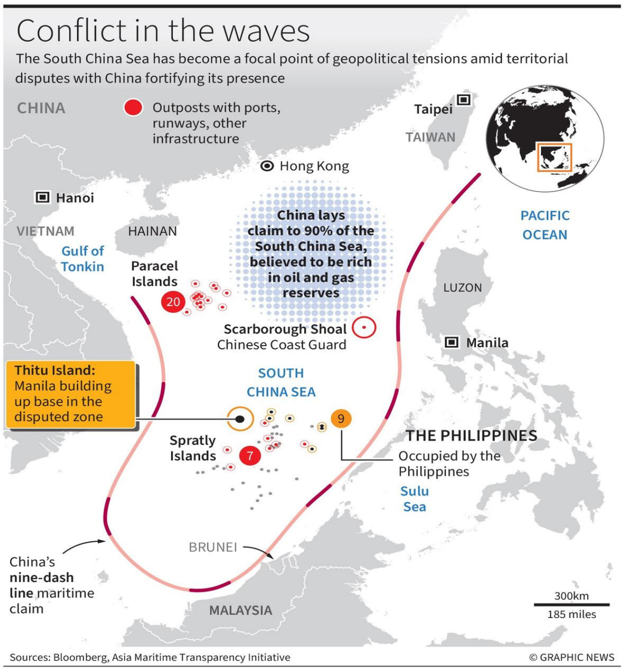

स्रोत: ET

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन

सन्दर्भ

- भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) के साथ तैनात शांति सैनिकों पर हुए हमले की निंदा की है।

ब्लू हेलमेट

- ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र बलों के सैन्य कर्मी होते हैं।
- संघर्ष से प्रभावित देशों को संघर्ष की स्थिति से निपटने, युद्धविराम की निगरानी करने और नागरिकों की सुरक्षा में सहायता करते समय दृश्यमान और तटस्थ बने रहने के लिए वे विशिष्ट हल्के नीले रंग के हेलमेट या बेरेट पहनते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किए जाने वाले अभियान हैं।
- पहला शांति स्थापना मिशन 1948 में इज़राइल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद औपचारिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों की स्थापना और उनके स्वरूप को निर्धारित करती है।
- यह सामूहिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य संघर्षों को रोकना, नागरिकों की रक्षा करना, राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना तथा देशों को संघर्ष से शांति की ओर संक्रमण में सहायता करना है।

प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन:

- **MINUSTAH (हैती):** हैती में राजनीतिक स्थिरीकरण, सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए कार्य किया (2004–2017)।
- **UNMISET (पूर्वी तिमोर):** पूर्वी तिमोर में स्थिरता, शासन और सुरक्षा को समर्थन दिया (2002–2005)।
- **UNMIL (लाइबेरिया):** लाइबेरिया में शांति निर्माण, निरस्त्रीकरण और संघर्ष के बाद पुनर्प्राप्ति में सहायता की (2003–2018)।
- **MINURCAT (मध्य अफ्रीकी गणराज्य एवं चाड):** नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया (2007–2010)।
- **UNMOGIP (भारत–पाकिस्तान):** जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की स्थिति की निगरानी करता है (1949 से)।
- वर्ष 2026 में, सैन्य कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान युगांडा करता है, जिसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और भारत का स्थान है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के सिद्धांत

- **पक्षों की सहमति**: प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए शांति स्थापना अभियानों को प्रमुख संघर्षरत पक्षों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- **निष्पक्षता:** शांति सैनिकों को संघर्षरत पक्षों के बीच तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए।
- **आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग न करना**: बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और मिशन के अधिदेश को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत: AIR

ई-श्रम पोर्टल के 5 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- ई-श्रम पोर्टल ने पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ई-श्रम पोर्टल

- इसे वर्ष 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था तथा इसका विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया गया है।
- इसने देश में पहली बार आधार से जुड़ा असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया।
- यह प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक विशिष्ट 12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) प्रदान करता है।
- यह अब एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित हो चुका है, जो कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षुता और पेंशन सेवाओं को एक साथ जोड़ता है।
- **पात्रता:** 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी श्रमिक, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। श्रमिक आयकरदाता नहीं होना चाहिए और न ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य होना चाहिए।
- **कवरेज**: पोर्टल में असंगठित क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के श्रमिक शामिल हैं। इनमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक तथा अन्य असंगठित श्रमिक शामिल हैं।

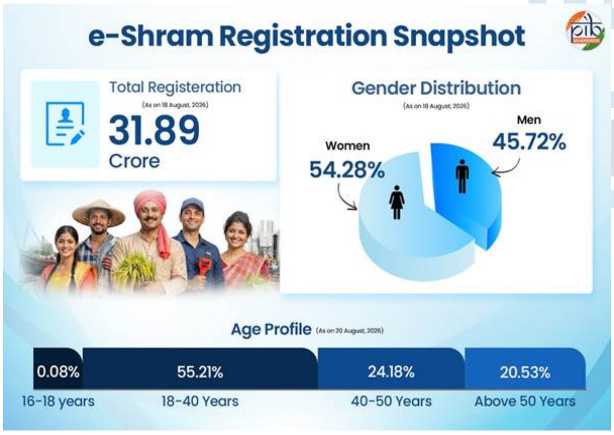

उद्देश्य

- बेहतर सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के वितरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के अभिसरण (Convergence) को सुगम बनाना।
- एपीआई (APIs) के माध्यम से सरकारी एजेंसियों के साथ श्रमिकों के डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करना। इससे सामाजिक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता मिलती है।
- निर्माण श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, ताकि राष्ट्रीय आपात स्थितियों और आपदाओं के समय त्वरित तैयारी एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

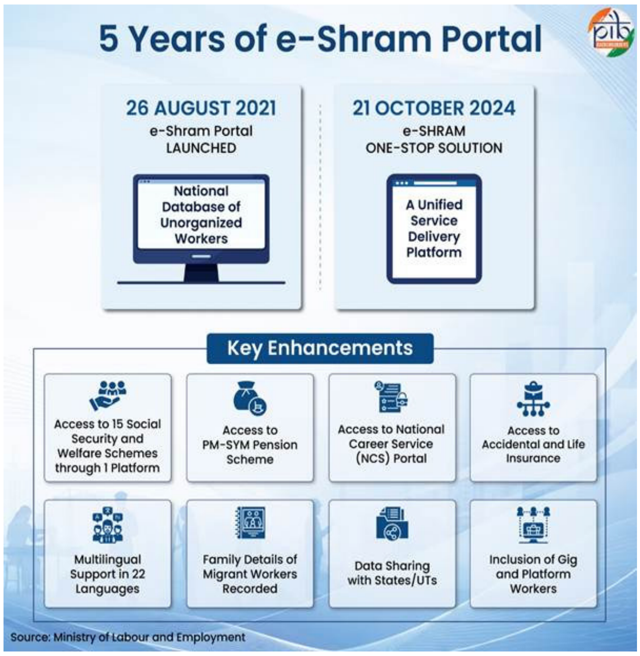

स्रोत: PIB

सेबी का आईटी रेजिलिएंस इंडेक्स (ITRI)

चर्चा में क्यों?

- सेबी (SEBI) ने बाजार अवसंरचना संस्थानों की प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आईटी रेजिलिएंस इंडेक्स (ITRI) ढाँचा पेश किया है।

परिचय

- यह सेबी द्वारा शुरू किया गया एक मात्रात्मक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) की आईटी प्रणाली की लचीलापन क्षमता, साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता और आपदा-पुनर्प्राप्ति क्षमताओं को मापना है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण बाजार प्रणालियाँ साइबर हमलों, तकनीकी विफलताओं और लेन-देन में अचानक वृद्धि का सामना कर सकें तथा परिचालन को शीघ्रता से बहाल कर सकें।

सेबी के आईटी रेजिलिएंस इंडेक्स (ITRI) की प्रमुख विशेषताएँ

- यह समय-समय पर किए जाने वाले अनुपालन परीक्षणों से आगे बढ़कर मापनीय और वास्तविक समय में लचीलेपन के आकलन की ओर बदलाव करता है।

- इसमें जोखिम-आधारित नौ मापदंडों का उपयोग किया जाता है, जिनमें उपलब्धता (Availability) और साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) को सबसे अधिक 20%-20% भारांक दिया गया है।
- इसमें व्यवसाय निरंतरता, विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी (Scalability) को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणालियाँ शीघ्रता से पुनर्प्राप्त हो सकें और बाजार के दबाव को संभाल सकें।
- इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता है, ताकि प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का पता बड़ी प्रणालीगत विफलता उत्पन्न होने से पहले लगाया जा सके।
- यह **"रेजिलिएंस-फर्स्ट" दृष्टिकोण** अपनाता है—अर्थात केवल विफलताओं को रोकने पर ही नहीं, बल्कि झटकों को सहन करने और शीघ्रता से पुनर्प्राप्त होने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- यह सेबी के व्यापक प्रौद्योगिकी एजेंडे का समर्थन करता है, जिसमें एआई/एमएल, सुपटेक/रेगटेक तथा क्वांटम-सुरक्षित साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

स्रोत: TH

लिथियम कार्बोनेट

चर्चा में क्यों?

- हाल के महीनों में लिथियम कार्बोनेट की कीमतों और ऊर्जा भंडारण सेल की लागत में लगातार गिरावट जारी रही है, क्योंकि बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में अधिक आपूर्ति की उम्मीद और 2027 में संभावित बाजार अधिशेष की संभावना के अनुरूप समायोजन हो रहा है।

लिथियम कार्बोनेट

- लिथियम कार्बोनेट एक लिथियम लवण है, जिसका रासायनिक सूत्र Li_2CO_3 है।
- बैटरी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट का मुख्य रूप से लिथियम-आयन बैटरियों के कैथोड पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जैसे लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड (LCO), लिथियम मैंगनेट ऑक्साइड (LMO), लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP), NMC111, NMC442, NMC532, NMC622, साथ ही क्षारीय बैटरियों में भी।
- काँच उद्योग में लिथियम कार्बोनेट का उपयोग ओवनवेयर काँच में प्रयुक्त सिलिका के गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है।
- सिरेमिक उद्योग में लिथियम कार्बोनेट का उपयोग रंग और चमक प्रदान करने के लिए किया जाता है।

स्रोत: DTE

NEXT IAS हिन्दी